

प्रेषक:—

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-१,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-३

देहरादून, दिनांक 22 अगस्त ,2006

विषय:— एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यों के संचालन के लिये लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट(पी०एम०य०) हेतु अस्थायी पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 993 / १११(३)०५-९०९(ए०डी०बी०) / ०५ दिनांक 22. 12.2005 के क्रम में, नया आवेदन पत्र संख्या 1165 / 113(7)याता-०६ दिनांक 05.05.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य की सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण प्राप्ति करने की तैयारी के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी०एम०य०) के संचालन हेतु निम्नलिखित 13 अस्थायी पदों को उनके नाम के सम्मुख स्तर-४ में अंकित वेतनमान में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा योजना समाप्त होने की तिथि जो भी पूर्व में हो दिनांक 28.02.2007 तक बर्ताव के इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिये जाये, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रु० में)	भर्ती का श्रोत
1	प्रोजेक्ट डायरेक्टर	01	12,000—375—16,500	अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० (प्रतिनियुक्ति)।
2	प्रोजेक्ट मैनेजर रोड़ डिजाईन एवं आदि।	01	12,000—375—16,500	अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० (प्रतिनियुक्ति)।
3	स्पेशल एण्ड पोवर्टी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट।	01	10,000—325—15,200	अधिशासी अभियन्ता, स्तर (प्रतिनियुक्ति)।
4	एन्चायरमेन्टल एसेसमेन्ट स्पेशलिस्ट।	01	10,000—325—15,200	अधिशासी अभियन्ता, स्तर (प्रतिनियुक्ति)।
5	प्रोक्यूरमैन्ट एण्ड कान्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट।	01	68,000 /—(संहत)	यू०डेक टेण्डर के माध्यम से।
6	एकाउन्टकम/प्रोफेशनल	01	यू०डेक/टेण्डर के माध्यम से	सी०एम०/एम०बी०एफ०/आई०/सी०डब्ल०ए० की व्यवस्था गतिमान।

7	प्रशासनिक सहायक / कनिष्ठ सहायक	01	3050–75–3950–80–4590	लो०नि०वि०, (प्रतिनियुक्ति)।
8	सहायक लेखाकार	01	4500–125–7000	वरिष्ठ लिपिक, लो०नि०वि०, (प्रतिनियुक्ति)।
9	प्रवर सहायक	01	4000–100–6000	संविदा / रीडिप्लायमेंट।
10	स्टेनो–स्वागती	01	4000–100–6000	संविदा / रीडिप्लायमेंट।
11	सुरक्षाकर्मी	02	उपसुल या आउटसोर्सिंग से	संविदा / रीडिप्लायमेंट।
12	अनुसेवक	01	उपसुल या आउटसोर्सिंग से	संविदा / रीडिप्लायमेंट

उक्त समस्त पद यथासम्भव प्रतिनियुक्ति/संविदा अथवा रीडिप्लायमेंट के आधार पर भरे जायेंगे, योजना समाप्त पर पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे तथा सभी प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मी अपने मूल विभाग में वापिस हो जायेंगे। सुरक्षाकर्मी तथा अनुसेवक उपसुल के आउटसोर्सिंग से भरे जायेंगे। यदि ये उक्त माध्यम से भरे नहीं जाते हैं तो उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम पर संविदा के आधार पर भरा जायेगा। संविदा पर नियुक्ति की स्थिति में उनसे अनुबन्ध पत्र निष्पादित करा लिया जायेगा। उक्त सृजित अस्थायी पदों के न्यूनतम वेतनमान स्तर पर वेतन देय होगा।

उपर्युक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के अनुमान सं० 22 के लेखा शीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं का पूंजीगत व्यय–०४ जिला तथा अन्य सड़कों ८०० अन्य–९७ विश्व बैंक सहायतित योजना/बाह्य/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण–०१ निर्माण/सुदृढ़ीकरण–२४ वृहत निर्माण कार्य के नाम में डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० सं० ३२०/xxvii(2)०६ दिनांक ११ अगस्त, २००६ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव

संख्या ५९६/ ॥।(३)/०६–९०४(ए०डी०बी०)/०५ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमांयू मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त अनुभाग–२।
6. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टी०के०पन्त्त)
संयुक्त सचिव